डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र नत्थूसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा (वादी)

बनाम

1. सोहनलाल } पि0श्रीराम जाति महाजन निवासी भजेडा
2. मोहनलाल } तहसील टोडाभीम जिला करौली
3 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक

मु0न0ः– 57/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम अनन्तपुरा स्थित आराजी ख0न0 ख0नं0 58 रकबा 1.83 है ख0नं0 59 रकबा 0.31 है ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 मे वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 का हिस्सा हजफ कर वादी सत्यनारायण पुत्र नत्थूसिंह जाति गूर्जर निवासी पीपलखेडा को 2/9 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 सोहनलाल पुत्र श्रीराम को 1/45 का, प्रतिवादी न0 2 मोहनलाल पुत्र श्रीराम को 1/45 हिस्से खा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06.09.2023 को जारी की गई।

सुनीता मीना
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम,जिला-गंगापुरसिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:23:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 57/2019 दिनांक:— 10.06.2019

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र नत्थूसिंह जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा (वादी)

बनाम

1 सोहनलाल } पि0श्रीराम जाति महाजन निवासी भजेडा
2. मोहनलाल } तहसील टोडाभीम जिला करौली
3 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक

उपस्थिति:— श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट (वादी)
श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1,2)

निर्णय दिनांक 06.09.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अनतपुरा तह0 टोडाभीम में स्थित आराजी ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 58 रकबा 1.83 है0, ख0नं0 59 रकबा 0.31 है0 कुल किता 3 रकबा 2.27 है0 में वादी बहिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 बहिस्सा 1/15 के खातेदार हैं शेष हिस्से के अन्य सह हिस्सेदार काश्तकार हैं।

वादपत्र में वर्णित आराजीयात ख0नं0 58/913, 59, 58 का रकबा तथा ख0नं0 1066/58 को संशोधित कर ख0नं0 58 में जरिए नामान्तकरण सं0 384 में दि0 28.08.2015 से तब्दील किया है पूर्व में उक्त ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 59 रकबा 0.34 है0 तथा ख0नं0 1066/58 रकबा 2.01 है0 कुल किता 03 रकबा 2.48 है0 ग्राम अनतपुरा तहसील टोडाभीम में स्थित था।

आराजी ख0नं0 58/2.01, ख0नं0 59/0.34, ख0नं0 58/913/0.13 है0 कुल किता 2.48 है0 ग्राम अनतपुरा तह0 टोडाभीम में प्रतिवादी नं01, 2 बहिस्सा 1/5 के खातेदार थे। उक्त आराजी के अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 को वादी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा करा दिया तथा वादी खरीद के दिन से उक्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 पर काबिज है तथा काश्तकार रहा है तथा बेचान के बाद से रेवन्यू रिकार्ड में वादी का नाम बहिस्सा दर्ज है तथा अपने सम्पूर्ण हिस्सा पर काबिज है लेकिन नामान्तकरण सं0 384 निर्णय दिनांक 28.08.2015 से वादी का रकबा 0.45 है0 जबकि वादी द्वारा 50 ऐयर भूमि खरीद की थी तथा वादी अपने सम्पूर्ण रकबे पर 0.50 है0 पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:23:15 IST
Reason: SelfAttested

वादी का हिस्सा आराजीयात के साथ अन्य [illegible] कर दिया था जिस पर वादी को पता चलने पर वादी द्वारा प्रतिवा[illegible] दिनांक 16.11.2007 के आधार पर कम हिस्से की पूर्ति के लिए कह[illegible] मुझे 50 [illegible] जमीन बेची है जिस पर मैं काबिज हूं तथा अब न्यायालय के आदेश के बाद मेरे हिस्से में 45 [illegible] भूमि हो गई है इसलिए तुम मुझे मेरे हिस्से की खातेदारी तहसील में चलकर करा दो, इस पर प्रतिवादीगण द्वारा संतुष्टीपूर्वक जबाव नहीं दिया। वादी द्वारा दिनांक 2.6.2019 को प्रतिवादीगण से बेचान की गई आराजी की खातेदारी कराने को फिर कहा तो वे आना कानी कर रहे हैं इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ

सुनीता मीना
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला-गंगापुरसिटी

है तथा वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि में हुए रकबे के बाद आराजी विवादग्रस्त में वादी बहिस्सा 2/9 हिस्से का खातेदार हैं तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 बहिस्सा 2/45 के खातेदार काश्तकार हैं तथा इसी मुताबिक वादी अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर ख0न0 58 रकबा 1.83 है0, ख0नं0 59 रकबा 0.31 है0 ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 ग्राम अनतपुरा तहसील टोडाभीम में वादी बहिस्सा 2/9 तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 बहिस्सा 2/45 के खातेदार काश्तकार हैं शेष हिस्से के खातेदार पूर्वानुसार सह खातेदार काश्तकार रहेंगे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 2 की ओर से श्री रामावतार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादी न0 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित हुये।

उभयपक्ष वकील ने दावे मे बहस नही कर दिनांक 26.09.2019 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने का कथन किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा वकील उभयपक्षकारान द्वारा दावा डिक्री किये जाने की सहमति पर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादी प्रतिवादीण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामे मे कथन किया है कि समाज व ग्रामीण के बीच राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा में यह तय किया गया है कि ख0नं0 58 रकबा 1.83 है ख0नं0 59 रकबा 0.31 है ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 ग्राम अनतपुरा तहसील टोडाभीम में वादी बहिस्सा 2/9 का खातेदार काश्तकार रहेगा तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 बहिस्सा 2/45 के खातेदार काश्तकार रहेंगे उसी के मुताबिक मौके पर काबिज हैं। शेष खातेदारान अपने हिस्सानुसार दर्ज रहेगे। पत्रावली मे शामिल ग्राम अनन्तपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 मे आराजी ख0नं0 58 रकबा 1.83 है ख0नं0 59 रकबा 0.31 है ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 मे सादूराम पुत्र बदरी प्रसाद हि. 4/15, भगवान सहाय पुत्र बद्री प्रसाद हि. 4/15, सोहनलाल, मोहनलाल पि0 श्रीराम हि. 1/15, त्रिवेणीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद हि. 1/5,जाति अग्रवाल सा. भजेडा बिला रहन सत्यनारायण पुत्र नत्थू सिह हि.1/5 जाति गूर्जर निवासी पीपलखेडा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल विक्रय पत्र जो सब रजिस्टार के यहां दिनांक 16.11.2007 को शान्तिदेवी बेवा श्रीराम, सोहनलाल, मोहनलाल पि. श्रीराम, नीतूबाई पुत्री श्रीराम जाति अग्रवाल निवासी ग्राम अनन्तपुरा ने स सत्यनारायण पुत्र नत्थूसिंह जाति गूर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा के ह कमे हिस्सा 1/5 का पंजीबद्ध हुआ है उसी हिस्से के मुताबिक ही राजीनामा हुआ है, उभयपक्ष वकील तथा वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 ने मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने पर सहमति दर्ज करने से, सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये किये जाने पर वादीगण का दावा बावत इस्तकरारहक स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम अनन्तपुरा स्थित आराजी ख0न0 ख0नं0 58 रकबा 1.83 है ख0नं0 59 रकबा 0.31 है ख0नं0 58/913 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 मे वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 का हिस्सा हजफ कर वादी सत्यनारायण पुत्र नत्थूसिंह जाति गूर्जर निवासी पीपलखेडा को 2/9 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 1 सोहनलाल पुत्र श्रीराम को 1/45 का, प्रतिवादी न0 2 मोहनलाल पुत्र श्रीराम को 1/45 हिस्से खा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:43:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.09.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुनीता मीना
उपखण्ड अधिकारी